52

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश, ग्वालियर

सक्षम– आशीष श्रीवास्तव,
सदस्य

निगरानी पकरण कमांक–4361–दो/2012 विरूद्ध पारित आदेश दिनाक 12–09–2011 पारित द्वारा तहसीलदार राजनगर जिला छतरपुर के प्रकरण कमांक–33/अ–3/2010–2011

1–राकेश कुमार पुत्र श्री रामसेवक गुप्ता

2–श्रीमती नीतू पत्नी सतीश अग्रवाल
निवासी खजुराहो तहसील राजनगर ।

3–ओमप्रकाश तनय शंकरलाल गुप्ता
निवासी राजनगर तहसील राजनगर जिला छतरपुर

...........आवेदकगण

विरूद्ध

हरीशंकर पुत्र दरबारी लाल अग्निहोत्री
निवासी राजनगर तहसील राजनगर जिला छतरपुर ।

..........अनावेदक

: आ दे श ::

(पारित दिनांक–17.9. 2015)

आवेदकों द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में सहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत तहसीलदार राजनगर जिला छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक–12.09.2011 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी है ।

2– प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि अनावेदक द्वारा दिनांक–11.05.2011 को भूमि सर्वे कमांक–1871/1(ख) रकवा 0.490 है0 के नक्शा तरमीम हेतु आवेदन पत्र दिनांक–11.05.2011 को तहसीलदार राजनगर के समक्ष प्रस्तुत किया गया था । उक्त आवेदन पत्र के आधार पर कार्यवाही करते हुए आवेदित भूमि का तहसीलदार

उक्त आवेदन पत्र के आधार पर कार्यवाही करते हुए आवेदित भूमि का तहसीलदार राजनगर द्वारा दिनांक–12.09.2011 को नक्शा तरमीम का आदेश दिया गया । उक्त आदेश से परिवेदित होकर यह नगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है ।

प्रकरण में मुख्य वाद बिन्दु तहसीलदार राजनगर द्वारा किए गये नक्शा तरमीम से संबंधित है ।

3/ प्रकरण में उपरोक्त तथ्यों के संबंध में उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क श्रवण किए गये ।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में बताया गया कि विवादित भूमि उसके सहखाते की भूमि है । इस पर दिनांक–04.08.2000 को आवेदक के बाबा रामनारायण द्वारा नक्शा तरमीम कराया गया था । तदुपरांत अनावेदक द्वारा बिना आवेदक को पक्षकार बनाए विवादित भूमि का नक्शा तरमीम कराया गया जबकि आवेदक सहखातेदार होने के नाते हितवद्ध पक्षकार है । आवेदक अधिवक्ता द्वारा धारा 5 के बिन्दु पर यह तर्क दिया गया कि वे नक्शा तरमीम के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में अपील में गये किन्तु अनुविभागीय अधिकारी ने उन्हें प्रकरण में सक्षम न्यायालय के समक्ष निगरानी करने के निर्देश के साथ अपील आवेदन खारिज किया गया । आवेदक अभिभाषक द्वारा यह भी कहा गया कि पडोसी कृषक न होकर हितबद्ध सहखातेदार होने से, वे प्रकरण में अनिवार्य पक्षकार हैं । उनके द्वारा यह भी स्वीकार किया गया कि नक्शा तरमीम के विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील करना विधि अनुसार सही था, किन्तु अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के परिपालन में राजस्व मण्डल के समक्ष निगरानी में आए हैं । उपरोक्त स्थिति में राजस्व मण्डल के समक्ष निगरानी प्रस्तुत करने में जो अतिरिक्त समय लगा उसे माफ करने के निवेदन के साथ ही निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया । उक्त तर्को के अतिरिक्त वहीं तर्क प्रस्तुत किए गये जो निगरानी मेमों में अंकित है, जिन्हें यहॉ दोहराने की आवश्यकता नहीं है किन्तु उन पर विचार किया जावेगा ।

अनावेदक अभिभाषक द्वारा अपने तर्क में प्रारंम्भिक आपत्ति ग्राह्यता एवं धारा 5 एवं आवेदक को पक्षकार बनाए जाने के बिन्दुओं पर इस न्यायालय की दिनांक–16.01.2013 की आदेश पत्रिका का हवाला देते हुए उठायी गयी । अनावेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क में कहा गया कि अभिलेख के अनुसार विवादित भूमि में आवेदक सहखातेदार नहीं है तथा आवेदक को सहखातेदार तथा सरहदी खातेदार बतौर आपत्ति करने का कोई अधिकार नहीं है । धारा 5 के बिन्दु पर तर्क दिया गया कि विधिक प्रावधानों की जिम्मेदारी रखना आवेदक की जिम्मेदारी है एवं इसके अभाव में विलम्ब को क्षमा नहीं किया जाना चाहिए अनावेदक अधिवक्ता द्वारा पुनः कहा गया कि आवेदक को इस प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया जा सकता। यदि उन्हें सीमांकन कराना है तो वे पृथक से अपने स्वामित्व की भूमि का सीमांकन कराने की कार्यवाही करें । निगरानी निरस्त करने का निवेदन किया गया ।

4/ उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को पर बिचार किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया । अवलोकन से प्रकरण में मुख्य रूप से निम्न वाद बिन्दु प्रकट हो रहे हैं –

1–आवेदक प्रकरण में पक्षकार बनाए जाने की पात्रता रखता है या नहीं । इस प्रकार आवेदक को पक्षकार बनाया जाये या नहीं ।

2–आवेदक सहखातेदार होकर सीमावर्ती कृषक है या नहीं, या दोनों में से कोई भी नहीं (सहखातेदार या सीमावर्ती कृषक)

3–प्रकरण में नक्शा तरमीम के आदेश के विरूद्ध अपील होगी या निगरानी, इस संबंध में आवेदक के तर्को में बताए गये तथ्यों के अनुसार अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निगरानी उनके न्यायालय में प्रचलन योग्य न होकर सक्षम न्यायालय में प्रस्तुत करने के दिए गये आदेश उचित है या नहीं.

5/ उभय पक्ष के अधिवक्ताओं के तर्को पर विचारोंपरान्त एवं अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेखों के अवलोकन के आधार पर उक्त बिन्दुओं के संबंध में यह निष्कर्ष निकलता है कि बिन्दु क्रमांक–1 व 2 के संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख में कोई निर्णायक अभिलेख उपलब्ध नहीं है। उक्त बाद बिन्दु अपील में सुनवाई योग्य

होने से इस निगरानी में कोई निर्णय इन बिन्दुओं पर नहीं लिया जा रहा है । वहीं इस निगरानी में उपस्थित वाद बिन्दुओं एवं उठाये गये प्रश्नों का निराकरण संहिता में वर्णित प्रावधानों के तहत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अपील में किया जाना उचित होगा। जो इस प्रकरण में आधार बिन्दु है ।

6/ बिन्दु क्रमांक–3 के संबंध में यह स्पष्ट है कि अधिसूचना क्रमांक– 2543–6408– सात–ना –1 दिनांक–27 जून 1968(राजपत्र दिनांक–30.8.68) द्वारा संहिता की धारा 71, 72, 73 (वर्तमान धारा 58, 69, 70) की शक्तियां तहसीलदार को प्रत्यायोजित की गयी है जिसके अनुसार धारा 70 के अंतर्गत नक्शा तरमीम की अधिकारिता तहसीलदार को होने से तहसीलदार का आदेश मूल आदेश की श्रेणी का होता है । इसके फलस्वरूप संहिता की धारा 44 (अपील तथा अपीलीय अधिकारी) एवं संहिता की धारा 44 (1) (क) [जहां अन्यथा उपबंधित किया गया' हो, उसके अतिरिक्त इस संहिता अथवा इसके अधीन बनाये गये नियमों के अधीन प्रत्येक मूल आदेश की अपील हो सकेगी–(क) यदि ऐसा आदेश उपखण्डीय पदाधिकारी के अधीनस्थ किसी भी राजस्व पदाधिकारी द्वारा दिया गया हो, चाहे आदेश देने वाला पदाधिकारी को कलेक्टर की शक्तियां विनिहित की गयी हों, उपखण्डीय पदाधिकारी को] तहसीलदार के नक्शा तरमीम के आदेश के विरूद्ध लागू होगा ।

7/ उपरोक्त वर्णित प्रावधान से यह स्पष्ट है कि प्रकरण में तहसीलदार द्वारा पारित नक्शा तरमीम का आदेश मूल आदेश है जिसके विरूद्ध अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील सुनवाई योग्य है । ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रस्तुत अपील में *"सक्षम अधिकारी के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत करने"* का आदेश प्रकरण क्रमांक– 81/अपील/11–12 में दिनांक–31.10.12 को दिया गया है जो किसी भी स्थिति में उचित नहीं है । अनुविभागीय अधिकारी के उक्त आदेश से तो ऐसा प्रतीत होता है कि या तो अनुविभागीय अधिकारी को संहिता में निहित प्रावधानों का ज्ञान नहीं है या फिर उनके द्वारा जानबूझ कर उनका अनुसरण न कर न्यायालयीन कार्यवाही में संवैधानिक निर्णय पारित करने में लापरवाही बरती गयी है जिससे न्याय प्रशासन की गरिमा एवं प्रतिष्ठा कलंकित होने की संभावना तो प्रबल

हुई ही है वहीं पक्षकार भी विधिक न्याय से वंचित हुए हैं। भविष्य में इस प्रकार की पुनरावृत्ति न्यायिक कार्यवाहियों में न हो । यह सुनिश्चित किया जावे ।

8/ यहां यह भी स्पष्ट है कि संहिता की धारा 46 में वर्णित परिस्थितियों में ही सिर्फ निगरानी होगी, अपील नहीं होगी । तहसीलदार द्वारा आदेश दिनांक–12.09.2011 पारित कर संहिता की धारा 70 के तहत नक्शा तरमीम के आदेश जारी किए गये हैं, जो अंतिम स्वरूप का होने से इस में संहिता की धारा 46 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं । इस कारण तहसीलदार द्वारा पारित नक्शा दुरूस्ती का आदेश संहिता की धारा 44(1) के तहत अपीलनीय होने से इस निगरानी में मुख्य वाद बिन्दु कमांक 1 एवं 2 के संबंध में इस निगरानी में निर्णय लिया जाना उचित नहीं होगा । आवेदक चाहे तो तहसीलदार के उक्त नक्शा तरमीम के मूल आदेश के विरूद्ध अपील अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए स्वतंत्र है । आवेदक इस निगरानी में उठाए गये ऐसे बिन्दुओं को अपील में अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष सुनवाई के दौरान भी उठा कर कानूनी सहायता प्राप्त कर सकते हैं जिन्हें इस निगरानी में निराकृत नहीं किया गया है ।

9/ उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में आवेदक द्वारा यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत करने के दिनांक–22.12.2012 से इस आदेश की संसूचना आवेदक को होने तक की अवधि की छूट का लाभ सक्षम न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने परं दिया जाये। आदेश की प्रति अधीनस्थ तहसीलदार सहित अनुविभागीय अधिकारी को भी भेजी जाये । उपरोक्तानुसार यह निगरानी आवेदन निराकृत किया जाता है । पक्षकार सूचित हों।

17.9.2015

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य
राजस्व मण्डल,मध्य प्रदेश
ग्वालियर